संख्या-9/2021/1017/15-7-2021-1(20)/2020

प्रेषक,

कुमार राघवेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक(मा०) एवं सभापति,
माध्यिमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ, प्रयागराज ।

2. सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग.7 लखनऊः दिनांक 10 मई, 2021

विषयः कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में पठन.पाठन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-8/2021/1011/15-7-2021-1(20)/2020 दिनांक 30 अप्रैल, 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों को 15 मई, 2021 तक बंद किया गया था।

2- वर्तमान में कोरोना संक्रमण की परिस्थियतियों को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों, शिक्षकों एवं पठन-पाठन से जुड़े अन्य कर्मियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों को दिनांक 20 मई, 2021 तक बन्द करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में ऑनलाइन पठन-पाठन संबंधी पूर्व आदशों को भी स्थगित किया जाता है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में कोविड महामारी के संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 20 मई, 2021 तक माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य बन्द किये जाने के दृष्टिगत इस अवधि तक शिक्षक/छात्र/छात्राएं विद्यालय में उपस्थिणत नहीं रहेंगे। इस अवधि में माध्यमिक शिक्षकों व अन्य कर्मियों को विभागीय कार्य घर से करने (Work From Home) की अनुमति प्रदान की जाती है साथ ही आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिला प्रशासन/सक्षम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

प्राधिकारी द्वारा माध्यमिक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को दिये जाने वाले प्रशासकीय कार्य दायित्वों हेतु यथावश्यक उनकी तैनाती एवं शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

कुमार राघवेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:-.9/2021/1017(1)/पन्द्रह-7-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः.

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को दूरभाष पर प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, माध्यिमक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, विशेष सचिव, माध्यिमक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकए उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकए उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश श्रीवास्तव
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।